फाइल नं0-71-1002(002)/23/2022

133/2022/।/251125/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 21 दिसम्बर, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के रेडियोडाग्नोसिस विभाग हेतु 800 एम0ए0 एक्स-रे मशीन के क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/388, दिनांक 22.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु उपकरण मद में अवमुक्त धनराशि रू0 4.80 करोड़ के सापेक्ष रेडियोडायग्नोसिस विभाग हेतु स्वीकृत उपकरण 600 एम0ए0 एक्सरे मशीन के- स्थान पर 800 एम0ए0 एक्स रे मशीन-01 नग को रू0 20,48,000.00 से ही क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-95/20222।/196136/2022/71-1002(002)/23/2022, दिनांक 29.07.2022 द्वारा उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त शासनादेश द्वारा मेडिकल कालेज, आगरा हेतु भी धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 22.11.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के रेडियोडायग्नोसिस विभाग हेतु स्वीकृत 01 नग 600 एम0ए0 एक्सलागत रू) रे मशीन-0 20,48,000.00) के स्थान पर 01 नग 800 एम0ए0 एक्सरे मशीन लागत रू-0 20,48,000.00 को शासनादेश दिनांक 29.07.2022 द्वारा अवमुक्त धनराशि से क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4- शासनादेश संख्या-95/20222।/196136/2022/71-1002(002)/23/2022, दिनांक 29.07.2022 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।